

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

क्रमांक : शिविरा/माध्य/सतर्कता/ए/तालाबंदी-१/2017-18

दिनांक : 26-6-18

1. समस्त भूमि उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय)
3. समस्त संस्था प्रधान
राजमानि/रामानि

विषय :- विद्यालयों में तालाबंदी के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत वर्षों में विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किये गये हैं। इससे विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इस सत्र में भी कतिपय विद्यालयों में तालाबंदी के प्रकरण सामने आये हैं। विभाग के किसी भी विद्यालय में तालाबंदी न हो इस हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं—

- समस्त उप निदेशक माध्यमिक तालाबंदी हेतु सजग रहेंगे तथा परिषेक के विद्यालयों में तालाबंदी रोकने हेतु विशेष प्रयास करेंगे। ये अपने कार्यालय में तालाबंदी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे तथा जिले में होने वाली तालाबंदी की सूचना प्राप्त: ४ बजे तथा दोपहर १ बजे निदेशालय स्थित कंट्रोल रूम को देंगे तथा अपने परिषेक की तालाबंदी की सूचना समेकित कर निर्धारित ई-मेल पर आवश्यक रूप से देंगे।
 - जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में ऐसे संवेदनशील विद्यालयों को चिह्नित करेंगे तथा इस प्रकार के विद्यालयों में तालाबंदी होने से रोकने के लिए पूर्ण से ही प्रभावी प्रयास करना सुनिश्चित करेंगे।
 - जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में तालाबंदी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे तथा जिले में होने वाली तालाबंदी की सूचना प्राप्त: ४ बजे तथा दोपहर १ बजे संबंधित उप निदेशक माध्यमिक को देंगे। तालाबंदी होने की दशा में स्वयं या अपने कार्यालय के जिम्मेवार अधिकारी को भौके पर भिजवाकर तालाबंदी खुलवाना सुनिश्चित करेंगे।
 - समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय समुदाय के निरंतर संपर्क में रहते हुए निर्बाध विद्यालय संचालन की सुनिश्चितता करें, जिससे कि तालाबंदी जैसी अवांछित स्थितियां उत्पन्न न हो। उक्त बाबत किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल अथवा प्रदान करते हुए अभिभावकों एवं एसडीएमसी सदस्यों को विभागीय नियमों एवं प्रावधानों की वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए उनके सहयोग से तालाबंदी खुलवाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करें।
 - तालाबंदी की स्थिति अथवा तालाबंदी की सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता/निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष (मोबाइल नं. 9414007726, 9414031050) को नहीं देने की स्थिति में संबंधित संस्थाप्रधान को प्रशासनिक अक्षमता एवं राज्य कार्य के प्रति उदासीनता हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
- संलग्न—सूचना प्राप्ति

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/माध्य/सतर्कता/प्रभाग—ए/तालाबंदी-१/2017-18 दिनांक - 26-6-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति उपरांत बड़ी संख्या में कालन्सलिंग द्वारा विद्यालयों में विभिन्न पदों की गुणात्मक वृद्धि हुई है। अन्य पदों के लिये डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः विद्यालय में शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकाश विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध कराया जा चुका है। किर भी कठिपय विद्यालयों से तालाबंदी की सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। उक्त तालाबंदी की स्थिति नहीं आए इसके लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. तालाबंदी की स्थितियों की रोकथाम हेतु समस्त मछल उपनिदेशक तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने हेतु पांच बांद किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय जिशिअ एवं उपनिदेशक कार्मिकों के आदेश जारी कर इस कार्यालय को सुचित करें।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिसमें निम्नानुसार कार्मिकों को अपने कार्य के साथ उत्तरदायित्व दिया जाता है, जो प्रति दिवस रिपोर्ट उप निदेशक, माध्यमिक, कार्यालय हाजा को दें:-

| क्रम सं. | नाम | विवि | मोबाइल नं. |
|----------|--|------------|------------|
| 1 | श्री राजेन्द्र मील सहायक निदेशक शाला दर्पण | प्रभारी | 8118852336 |
| 2 | श्री प्रमोद थमोली प्रभारी एसआईक्युइ, माध्यमिक अनुभाग | सह प्रभारी | 9414031050 |
| 3 | श्री अभय सिंह राजपुरोहित एमआईएस शाला दर्पण | सह प्रभारी | 9414007728 |
| 4 | श्री सतीश प्रजापत कनिष्ठ सहायक, मॉनिटरिंग अनुभाग | सहायक | 8104081084 |

3. प्रतिदिवस की सूचना प्रभारी निदेशालय नियंत्रण कक्ष द्वारा पंजिका में संधारित करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी। प्रतिदिवस की रिपोर्ट शासन को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक अपने कार्यालय में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल निदेशालय को वस्तुस्थिति की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवश्यकता होने पर स्वयं भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही करें।
5. निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नं. 9414007728, 9414031050 रहेंगे। समस्त उप निदेशक अपने परिषेत्र की तालाबंदी की सूचना प्राप्त: 8 बजे दूरभाष पर दोगों तथा समस्त परिषेत्र की सूचना को समीक्षित कर इ-मेल talabandi2017@gmail.com पर दोपहर 2 बजे से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सूचना नहीं प्राप्त होने की स्थिति में तालाबंदी संख्या शून्य निर्धारित की जावेगी।

संस्था प्रधान का यह दायित्व है कि वह तालाबंदी के कारणों एवं यरिस्थितियों का आकलन/ निवारण पूर्व में कर ले जो तालाबंदी का कारण बन सकते हैं। तालाबंदी हेतु उत्तरदायी तथा तालाबंदी की सूचना समय पर उच्च अधिकारी तक नहीं पहुँचाने वाले कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


(निर्मल सिंह)


आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 26.6.18

क्रमांक-शिविर/माध्य/सतर्कता/प्रभाग-ए/तालाबंदी-१/2017-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन सचिव, माध्यमिक राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त उपनिदेशक/जिशिअ एवं अधिकारी कार्यालय


अतिरिक्त निदेशक(क्रियासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय – जिशिअ/उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

तालाबंदी की दैनिक सूचना दिनांक:—.....

| क्र.सं. | जिला | ब्लॉक | विद्यालय का नाम | तालाबंदी का कारण | जिशिअ/उप निदेशक की टिप्पणी |
|---------|------|-------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

(हस्ताक्षर मय मोहर)